



2026:AHC.9266

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19786 वर्ष 2025

दश्रीमती बबीता कुमारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संदीप कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार तिवारी और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशि धर सहाय (एओआर सं. ए/एस 0908/2012) को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पति, जिनका नाम स्वर्गीय दिनेश कुमार था, सीटी/डब्ल्यूएम के पद पर तैनात थे और उनका निधन 29.07.2020 को हो गया। रिट याचिकाकर्ता एक विधवा हैं और उनके दो बच्चे हैं; रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवाकाल के दौरान मृत्यु नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के उनके दावे पर विचार नहीं किया जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता ने सीआरपीएफ में अनुकंपा नियुक्ति के तहत एचसी/मिन के पद के लिए आवेदन किया था, परंतु वह टाइपिंग टेस्ट में असफल रही; इसके बाद उसने सिटी/जीडी (महिला) के पद के लिए आवेदन किया,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परंतु उसे शारीरिक/दौड़ परीक्षण में असफल घोषित कर दिया गया; और अब सिटी/दफ्तरी के पद के लिए उसके दावे पर विचार किया जा रहा है।

5. इस प्रकार के निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. विपक्ष के तर्कों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन दूसरे प्रत्यर्थी, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) मुख्यालय, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करे। दूसरा प्रत्यर्थी, इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेगा। यदि दूसरे प्रत्यर्थी की यह राय है कि इस मामले पर निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है, तो संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित की जाती है**।

9. आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

जनवरी 14, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)